आईडी-इंसर्टर

प्राधिकृत अधिकारी
उप शाखा रा. आयोग (उ.सं.) सर्किट बैंच, जोधपुर
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच
जोधपुर

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, जोधपुर(राजस्थान)

अपील संख्या 94/2006

किशनगोपाल शुक्ला व अन्य

बनाम्

गोयल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा0 लि0 व अन्य

अपील संख्या 261/2007

गोयल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा0 लि0 व अन्य

बनाम्

किशनगोपाल शुक्ला व अन्य

समक्षः—

माननीय श्री विनय कुमार चावला, पीठासीन सदस्य,
माननीय श्री लियाकत अली, सदस्य,

उपस्थितः—

अपीलार्थी परिवादी की ओर से श्री रामदेव पोटलिया, एड0
प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री अनिल बछावत, एड0
प्रत्यथी संख्या 5 की ओर से श्री डी. के. भूतडा, एड0

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय सहायक
राज्य आयोग

दिनांकः04/07/2011

राज्य आयोग,सर्किट बैंच,राज.जोधपुर द्वारा—

यह दोनों अपीलें विद्वान जिला मंच, जोधपुर के आदेश दिनांक 01.09.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । जिसके द्वारा विद्वान जिला मंच ने अपीलार्थी किशनगोपाल शुक्ला का परिवाद प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्वीकार कर लिया । यह अपील उन्होंने क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि के लिए तथा प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 व 5 के विरूद्व तथा सेवा दोष माने जाने के लिए की है ।

अपील संख्या 261/07 प्रत्यर्थी गोयल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर तथा डॉ0 आनंद गोयल के द्वारा प्रस्तुत की गई है जिन्होंने विद्वान जिला मंच के आदेश को चुनौती दी है । यह दोनों अपीले एक ही आदेश से निपटाई जा रही है ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती विभा शर्मा जो कि किशनगोपाल शुक्ला की पुत्री है तथा परिवादी संख्या 2 राजीव शर्मा की पत्नी है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने पर उसे दिनांक 11.2.99 को डॉ0 कैलाश दुबे, एम.डी. के पास ले जाया गया । डॉ0 कैलाश दुबे ने विभा शर्मा की जॉच करने पर पाया कि उसे हृदय संबंधी रोग है तथा उसके हृदय के वॉल्व में Problem है । उन्होंने विभा शर्मा को किसी Cardiologist को दिखाने की सलाह दी । इस पर परिवादी द्वारा विभा शर्मा को दिनांक 12.2.99 को गोयल हॉस्पिटल ले जाया गया जहॉ डॉ0 आनंद गोयल से सम्पर्क किया गया। परिवादीगण के अनुसार डॉ0 आनंद गोयल ने स्वयं को Cardiologist होना प्रकट किया और उन्होंने विभा शर्मा का उपचार प्रारम्भ किया तथा विभा शर्मा की हृदय संबंधी जॉच भी करवाई । जॉच रिपोर्ट के अनुसार विभा शर्मा के हृदय में माइट्रल स्टेनोसिस व माइट्रल रिगर्स हृदय के वॉल्व संबंधी बीमारी पाई गई । उसके बाद विभा शर्मा माह अक्टूबर तक प्रत्येक माह गोयल हॉस्पिटल आती रही । विभा शर्मा इस दौरान गर्भवती भी हो गई थी । वह गोयल हॉस्पिटल में अपने गर्भ की जॉच के लिए भी आती रही । इस दौरान विभा शर्मा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ । दिनांक 25.8.99 को उसे दो दिन के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया परन्तु दो दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया । दिनांक 27.10.99 को अन्तिम बार उसे गोयल हॉस्पिटल में ले जाया गया । उस दिन उसे डॉ. आर.के. व्यास, Cardiologist को रेफर कर दिया गया । तब तक विभा शर्मा आठ माह की गर्भवती हो गई थी । डॉ0 आर.के. व्यास ने उसे यह सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कर दिया जाये तथा उसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए । इस पर दिनांक 28.10.99 को प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ0 शारदा माथुर ने विभा शर्मा का प्रसव ऑपरेशन के द्वारा किया तथा विभा शर्मा ने एक बालक को जन्म दिया जो स्वस्थ था परन्तु प्रसव के बाद विभा शर्मा की हालत खराब हो गई । यह बताया गया कि वह तुरन्त कोमा में चली गई थी और फिर 4 घण्टे बाद उसे I.C.U. में ले जाया गया । अगले दिन प्रातः उसकी मृत्यु हो जाना बताया गया । परिवादीगण की ओर से यह भी प्रकट हुआ है कि प्रसव के बाद उसके रिश्तेदारों को विभा शर्मा से मिलने ही नहीं दिया गया ।

अपीलार्थी/परिवादी के द्वारा विद्वान जिला मंच में विभा शर्मा के ईलाज में हुई Medical Negligence के आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन किया था । उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह आक्षेप लगाये कि डॉ. आनंद गोयल जो कि गोयल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर का प्रबन्ध निदेशक है, उसने स्वयं को Cardiologist होना बताया था जबकि वास्तव में वह केवल एम.डी. है और वह हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है । उसने मिथ्या रूप से अपने बोर्ड पर Consultant

Physician & Cardiologist छपा रखा था । उनके अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं होते हुए और इस बात की प्रथम जॉच रिपोर्ट में पुष्टि हो जाने पर कि विभा शर्मा माइट्रल स्टेनोसिस व माइट्रल रिगर्स से पीडित है उसको किसी विशेषज्ञ को रेफर नहीं किया गया और ना ही इस बीमारी का उचित ईलाज किया गया। उनके अनुसार हृदय की इस बीमारी में किसी स्त्री के लिए गर्भ धारण करना अत्यन्त ही खतरनाक होता है और डॉ0 गोयल को ऐसी राय दी जानी चाहिए थी कि विभा शर्मा को प्रारम्भिक स्टेज पर ही गर्भपात करा दिया जाना चाहिये ताकि उसकी जान की सुरक्षा बनी रहे । परिवादीगण/अपीलार्थीगण के अनुसार इस बीमारी का कोई ईलाज डॉ0 गोयल ने नहीं किया । लगातार उसकी हालत बिगड़ती गई । उसे सॉस लेने में तकलीफ होती रही, बेचेनी, उलटी आदि से ग्रसित रही और अन्त में जब उसकी हालत काफी गम्भीर हो गई तो उसे डॉ0 आर.के. व्यास, Cardiologist को रेफर किया गया । उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 3 शारदा माथुर तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 शोभा पारीक के विरूद्ध भी यह आक्षेप लगाये हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी हृदय रोग होने के बावजूद भी गर्भपात कराने के संबंध में कोई राय नहीं दी तथा डॉ0 शोभा पारीक जो Anaesthesist है, उसने प्रसवकाल के दौरान ऑपरेशन के समय विभा शर्मा को पूरी तरह बेहोश कर दिया था जबकि उसे केवल Regional Anaesthesia ही दिया जाना चाहिये थे ।

प्रत्यर्थीगण ने अपनी अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की है कि विभा शर्मा का प्रारम्भिक स्तर पर ही पूरी तरह उचित उपचार प्रारम्भ कर दिया गया था । उनके अनुसार एम.डी. डिग्रीधारक डॉक्टर भी हृदय रोग संबंधी उपचार कर सकता है तथा विभा शर्मा गर्भवती थी, यह उन्हें एक माह के बाद बताया गया था । उनके अनुसार विभा शर्मा जब भी अस्पताल आई वह केवल डॉ0 शारदा माथुर को दिखाकर जाती थी । उनके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के हृदय रोग में गर्भपात कराना आवश्यक हो तथा जो भी उपचार विभा शर्मा को चिकित्सीय पद्धती के अनुसार दिया जाना चाहिए था वह दिया गया था । विद्वान जिला मंच ने डॉ0 व्यास के कथनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है । उन्होंने यह भी कथन किया है कि विभा शर्मा ने चिकित्सीय सलाह का पालन नहीं किया और वह स्कूल में टीचर थी । बीमारी के दौरान वह लगातार अपने कार्य पर जाती रही जबकि उन्हें नमक कम खाने व पूर्णतया आराम की सलाह दी गई थी । उनके अनुसार जिला मंच ने डॉ0 व्यास की साक्ष्य का आधार लिया है जबकि डॉ0 व्यास ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि विभा शर्मा की बीमारी के संबंध मे जो उपचार डॉ0 गोयल द्वारा प्रारम्भ किया गया था वह उचित था । इस प्रकार डॉ0 व्यास के पूर्ण

कार्यालय सहायक
राज्य आयोग

Scanned with OKEN Scanner

बयान को पढ़े जाने के बाद किसी तरह की चिकित्सीय लापरवाही प्रमाणित नहीं होती है ।

हमने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

इस परिवाद/अपील के दौरान इस प्रकार की भी आपत्ति प्रत्यर्थीगण के द्वारा उठाई गई है कि यह परिवाद स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि परिवादी संख्या 1 विभा शर्मा का पिता है । विभा शर्मा विवाहित थी इसलिए उसे यह परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । यह आपत्ति हमारे मत में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जिला मंच व इस आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियॉ समरी प्रोसेडिंग के रूप में चलाई जाती है । विभा शर्मा के पिता जो कि प्रारम्भ से ही उसके ईलाज के दौरान साथ थे, उसके तथा परिवादी संख्या 2 उसके पति के द्वारा परिवाद प्रस्तुत करना कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती । इस आपत्ति को भी जिला मंच ने सही रूप से निरस्त कर दिया था ।

प्रत्यर्थीगण की दूसरी आपत्ति यह थी कि इस मामले में एक आपराधिक प्रकरण भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त कर दिया गया था । हमारे मत में आपराधिक प्रकरण का निरस्त होना उपभोक्ता मंच के समक्ष क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद प्रस्तुत करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता ।

मुख्य रूप से हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या विभा शर्मा के ईलाज में वास्तव में लापरवाही रही जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । संबंधित प्रलेखों का अवलोकन करने पर हमने यह पाया है कि सर्वप्रथम दिनांक 12.2.99 को विभा शर्मा, डॉ. गोयल के पास गई थी तब उसने कमजोरी होने की शिकायत की थी और हृदय संबंधी रोग होना भी प्रकट किया था । इस पर डॉ0 गोयल ने दिनांक 12.2.99 को उसे ताकत की कुछ दवाईया Prescribe की थी तथा हृदय संबंधी जॉच करवाई थी । जिसमें माइट्रल स्टोनोसिस व माइट्रल रिगर्स होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । दिनांक 25.3.99 को पुनः विभा शर्मा, डॉ0 गोयल के पास आई । उस दिन उन्हें उसके गर्भवती होने की भी जानकारी हो गई थी । उन्होंने उसे केवल एक Tablet Frucelac Prescribe की और नमक कम खाने की सलाह दी थी । उसके बाद दिनांक 8.5.99 को उसने स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया जिन्होंने उसे डॉ0 गोयल के पास ही रेफर कर दिया । दिनांक 15.7.99 व 19.8.99 को भी वह अस्पताल में प्रत्यर्थी संख्या 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ0 शारदा माथुर के पास गई । उस दिन भी उसे डॉ0 गोयल के पास ही रेफर कर दिया गया। इस बात का कोई

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय सहायक

राज्य आयोग

प्रमाण नहीं है कि दिनांक 25.3.99 के बाद 19.8.99 तक स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा बार–बार उसे डॉ0 गोयल के पास रेफर कर दिया था तो डॉ0 गोयल ने ह्रदय रोग के संबंध में क्या उपचार Prescribe किया । अगस्त 1999 में उसे भर्ती भी रखा गया, उस दौरान भी ह्रदय के वॉल्व संबंधी कोई उपचार किया जाना प्रतीत नहीं होता । माह सितम्बर मे भी उसे उलटी, सॉस लेने में तकलीफ, बेचेनी आदि होती रही । इस दौरान जब–जब भी वह गोयल हॉस्पिटल गई उसे या तो उलटी की दवाई या नींद की दवाई दी गई । जो भी Prescription पत्रावली पर उपलब्ध है वह अधिकतर डॉ0 शारदा माथुर के है जिसमें उन्होंने विभा शर्मा को बार–बार डॉ. गोयल को रेफर किया है । चूंकि गर्भ के संबंध में कोई कठिनाई विभा शर्मा को नहीं थी इसलिए उसे ह्रदय रोग के लिए बार–बार डॉ0 गोयल के पास भेजा जाता रहा । दिनांक 23.10.99 तक यही होता रहा । उसके बाद दिनांक 27.10.99 को जब विभा शर्मा की तबीयत अत्यन्त खराब हो गई थी तब उसे डॉ0 आर.के. व्यास, Cardiologist के पास रेफर किया गया जिन्होंने उसे तुरन्त अस्पताल में भर्ती होने तथा ऑपरेशन से प्रसव कराने की सलाह दी ।

इन सारी Patient History से यह लगता है कि दिनांक 12.2.99 को ही विभा शर्मा के ह्रदय में वॉल्व संबंधी रोग होने की जॉच रिपोर्ट आ गई थी । दिनांक 12.2.99 से 27.10.99 तक डॉ0 गोयल जिन्होंने स्वयं को Cardiologist होना प्रकट कर विभा शर्मा को अपने उपचार में लिया था उसने इस बीमारी के संबंध में कोई ईलाज प्रारम्भ किया हो अथवा ऑपरेशन की राय दी हो ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है । अपने जवाब में भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने यह प्रकट नहीं किया है कि उसकी इस बीमारी के लिए क्या दवाइयॉ दी गयी तथा क्या उपचार प्रारम्भ किया । इस संबंध में विद्वान जिला मंच ने डॉ0 आर.के. व्यास, जिन्होंने दिनांक 27.10.99 को विभा शर्मा को देखा था, उसे अपने समक्ष बुलाकर उसके बयान लिये । उसके बयानों में भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस बीमारी में प्रारम्भिक रूप से क्या उपचार उपलब्ध करवाया जाना चाहिये था जो डॉ0 गोयल द्वारा दे दिया गया । क्या दवाइया दी जानी चाहिये थी जो विभा शर्मा को डॉ0 गोयल द्वारा दे दी गई थी । इस संबंध में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने काफी अधिक बल दिया है कि डॉ0 व्यास के बयानों पर आधारित नहीं रहा जा सकता । डॉ0 व्यास ने अपने बयानों में यह अवश्य कहा है कि यद्यपि Line of Treatment सही था परन्तु इस बीमारी में जो आवश्यक Pencillin (congacting) Injection दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया था । डॉ0 व्यास की यह भी राय थी कि ऐसे रोग में स्त्री के लिए गर्भ धारण करना अत्यन्त खतरनाक होता है और इसका तुरन्त ही गर्भपात करा लिया जाना चाहिये । प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क रहा है कि विद्वान जिला मंच ने डॉ0

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय सहायक

व्यास के केवल उन्हीं बयानों को स्वीकार किया है जो परिवादी/अपीलार्थी के पक्ष के थे । हमनें इस तर्क पर विचार करने पर यह पाया है कि इस बीमारी में स्पष्ट रूप से Line of Treatment क्या रहता है, उसे स्वयं डॉ0 गोयल को ही प्रमाणित करना चाहिये था। इससे यह आशय है कि आठ महीने में विभा शर्मा प्रत्येक माह गोयल अस्पताल जाती रही और डॉ0 माथुर उसे बार–बार डॉ0 गोयल के पास रेफर करती रही परन्तु डॉ0 गोयल ने उसका क्या ईलाज किया इसका कोई प्रमाण नहीं है । डॉ0 शारदा माथुर का डॉ0 गोयल को रेफर करने का यह प्रमाण है कि उसे जो भी तकलीफ रही थी वह केवल स्पष्ट रूप से उसके हृदय रोग से संबंधित थी, गर्भ से संबंधित कोई कठिनाई नहीं थी । सारे Prescription डॉ शारदा माथुर के हाथ के है जिनमें Refer to Dr. Goyal लिखा हुआ है । डॉ0 गोयल ने इस पर क्या उपचार किया स्वयं प्रत्यर्थीगण नहीं बता पाये । हमारा यह मानना है कि डॉ0 गोयल ने विभा शर्मा के हृदय संबंधी रोग के उपचार में पूर्णतया लापरवाही बरती है । स्वयं Cardiologist नहीं होते हुए भी उन्होंने उसका उपचार प्रारम्भ किया । यह आपत्ति भी की कि क्या एम.डी. डिग्रीधारक भी ऐसा ईलाज करने में सक्षम है । इस संबंध में विद्वान जिला मंच ने काफी चर्चा की है और उन्होंने जो निष्कर्ष इस बिन्दू पर निकाला है हम उससे सहमत है कि डॉ0 गोयल स्वयं एक हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है और उनको 8 महीने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा उसके बाद विभा शर्मा को हृदय रोग विशेषज्ञ को रेफर कर दिया । इस संबंध में हम माननीय नेशनल कमीशन के निर्णय Dr. Sr. Louie & Ors. Vs. Kannolil & Anr. 1993 (1) CPR 422 NC का अनुसरण करना चाहते है । इसके साथ ही डॉ0 व्यास की यह राय कि इस प्रकार के हृदय रोग में स्त्रियों को गर्भ धारण करना अत्यन्त खतरनाक होता है । इसक समर्थन अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक मेडिकल टेस्ट बुक के extract से भी होता है । इस प्रकार हम अपील संख्या 261/07 स्वीकार योग्य नहीं पाते है तथा विद्वान जिला मंच ने अपने विस्तृत निर्णय द्वारा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद तथा न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख करते हुए जो निष्कर्ष निकाला है वह पूर्णतया उचित प्रतीत होता है ।

अपील संख्या 94/06 में अपीलार्थी परिवादी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की है । जैसाकि हमने ऊपर चर्चा में यह उल्लेख किया है कि जब–जब विभा शर्मा प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ0 शारदा माथुर के पास दिखाने आई तब–तब उसे उन्होंने डॉ0 गोयल को रेफर कर दिया था क्योंकि डॉ0 शारदा माथुर को विभा शर्मा की गर्भ संबंधी कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हो रही थी और उसको जो परेशान थी वह हृदय रोग से संबंधित थी इसलिए उसे वहाँ भेज दिया जाता था । इस प्रकार डॉ0 शारदा माथुर ने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया था परन्तु डॉ0

गोयल ने क्या ईलाज किया यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और अंत में डॉ0 आर.के. व्यास को रेफर कर दिया । इस प्रकार प्रसव के ऑपरेशन के दौरान भी डॉ0 शारदा माथुर ने कोई लापरवाही की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है । विभा शर्मा का प्रसव भी सफल रहा और उसको जीवित बच्चा भी हुआ । जहॉ तक प्रत्यर्थी संख्या 4 डॉ0 शोभा पारीक का विभा शर्मा को Anaesthesia देने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान जिला मंच के इस निष्कर्ष से हम सहमत है कि पूर्णरूप से Anaesthesia अथवा Regional Anaesthesia दिये जाने का इस मृत्यु से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध रहा हो, इस संबंध में तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा और कोई निष्कर्ष निकाला जाना सम्भव नहीं है । उस सीमा तक हम अपीलार्थी परिवादी की यह अपील अस्वीकार करते है । इस संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से दो न्यायिक अवलम्ब Babu lal Vithal Lokhpur & Ors. Vs. Sunita Devi Singhania Hospital 2008 (2) CPC Page 98 तथा St. Gregorious Mission Hospital Vs. Rogi George & Ors. 2008 (1) CPC Page 384 के जो अवलम्ब प्रस्तुत किये है वह यहॉ सहायक नहीं है ।

Medical Negligence के जो आक्षेप परिवादी ने लगाये थे वह प्रमाणित हुये है । इस पर विस्तार से ऊपर चर्चा कर चुके हैं । संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे कि हृदय संबंधी रोग उपचार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि क्या Line of Treatment दिया गया, क्या दवाइयॉ दी गई, ये तथ्य उपलब्ध नहीं है । आठ माह तक हृदय रोग विशेषज्ञ को क्यों रेफर नहीं किया गया, स्वयं डॉ0 गोयल Cardiologist नहीं है तथा उन्होंने प्रारम्भिक स्टेज पर गर्भपात की सलाह नहीं थी, प्रसव के ऑपरेशन के समय वह Opreation Theater में उपलब्ध नहीं थे और ना ही किसी अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ को वहॉ बुलाया गया था । चूंकि यह गोयल अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वह ऐसे गंभीर बीमारी के मरीज के ऑपरेशन के समय हृदय रोग विशेषज्ञ को उपलब्ध रखते । प्रसव के ऑपरेशन के बाद रिश्तेदारों को अन्दर जाने से रोकना व मिलने नहीं देना भी संदेह उत्पन्न करता है । अचानक चार घण्टे बाद विभा शर्मा को I.C.U. में ले जाना तथा अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु की घोषणा करना यह सब तथ्य संदेहजनक है और हम विद्वान जिला मंच के निष्कर्ष से सहमत है । Post Operative Care भी मृतका को पूरी तरह नहीं मिली । इस संदेह को बल मिलता है कि प्रसव के बाद वह कोमा में चली गयी थी ऐसा अतिरिक्त रक्तस्त्राव से संभव होता है और जब वह एक विशेष प्रकार के हृदय रोग से पीड़ित थी । विभा शर्मा के डिस्चार्ज रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 28.10.99 को उसकी हालत अत्यन्त गंभीर हो गई थी और वह प्रातः 4 बजे ही Deep Calamtose में चली गई थी और उसका बी.पी. तथा नब्ज भी

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड किये जाने योग्य नहीं रह गये थे । उसकी स्थिति को देखते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रसव के बाद उसके हृदय में रक्त संचार करना बंद कर दिया था जिसके कारण वह Deep Calamtose की स्थिति में चली गई थी

क्षतिपूर्ति को बढ़ाये जाने के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है । उनके अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि Medical Negligence में मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति उसी रूप से दिलाई जानी चाहिये जिस प्रकार से दुर्घटना के मामले में मृत्यु होने पर दिलाई जाती है। उनका तर्क है कि विभा शर्मा 30 वर्ष की आयु की थी, एक वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ था, वह अध्यापिका थी, उसकी मृत्यु से उसके नवजात शिशु माँ के वात्सल्य से वंचित हो गया, परिवादी किशनगोपाल अपनी पुत्री की मृत्यु से मानसिक संताप से ग्रसित हो गया, उसका पति जिसकी एक वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी अपनी पत्नी की मृत्यु से अत्यधिक प्रभावित हुआ । इन सब तथ्यों को विचार करने के बाद क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाना चाहिये था । मंच द्वारा दिलाये गये तीन लाख रूपये अत्यन्त कम है ।

क्षतिपूर्ति के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारे समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय AIR 1994 SC Page 1681 and 2008 (1)CPC Page 157 आदि अवलम्ब प्रस्तुत किये हैं । इस बिन्दू पर विद्वान जिला मंच ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि क्षतिपूर्ति के बिन्दू पर जो राशि अपीलार्थीगण/परिवादीगण ने मांगी है उसका कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण नहीं कर पाये थे । इसके साथ ही यह तथ्य भी रिकार्ड पर है कि ईलाज के संबंध में व्यय राशि के बिल व रसीदें आदि भी परिवादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किये हैं । इस बिन्दू पर विद्वान जिला मंच ने 75000/– रूपये की राशि चिकित्सा व्यय के रूप में प्रदान की है । इस बिन्दू पर हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि परिवादीगण/अपीलार्थीगण ने Multiplier के आधार पर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है । यह तथ्य तो प्रमाणित है कि मृतका विभा शर्मा स्कूल में अध्यापिका थी परन्तु उसका कोई वेतन प्रमाण–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया है । जिसके अभाव में Multiplier के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । इसी प्रकार जहॉ तक नवजात शिशु के लिए क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, इस बिन्दू पर भी अपीलार्थीगण/परिवादीगण द्वारा यह तथ्य रिकार्ड पर नहीं लाया गया है कि विभा शर्मा की मृत्यु के बाद यह शिशु किसकी देखरेख में पल रहा है । यह तथ्य भी रिकार्ड पर नहीं आया है कि क्या उसके पति राजीव शर्मा अपीलार्थी/परिवादी संख्या दो ने पुनर्विवाह कर लिया है या नहीं तथा नवजात शिशु

Scanned with OKEN Scanner

की देखरेख उसके पिता कर रहे है या उसके नाना अपीलार्थी/परिवादी संख्या 1 कर रहे है । इन तथ्यों के अभाव में समस्त परिस्थितियों को देखते हुए यद्यपि हमें यह प्रतीत होता है कि 3,00,000/- रूपये की राशि की जो क्षतिपूर्ति प्रत्यर्थीगण से दिलाई गई है वह अवश्य ही कम प्रतीत होती है । चूंकि तथ्य के अभाव में Multiplier के आधार पर गणना करना सम्भव नहीं है । इस स्थिति में हम यह मानते है कि चिकित्सीय व्यय के पेटे दिलाई गई 75,000/- रूपये की राशि उचित है तथा मानसिक संताप के लिए दिलाई गई राशि 3,00,000/- रूपये से बढ़ाकर 6,00,000/- रूपये किया जाना उचित है । यह राशि परिवादीगण/अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 में समान रूप से विभक्त की जावे । अपील संख्या 94/06 के अपीलार्थीगण इस अपील का व्यय 5000/- रूपये प्रत्यर्थीगण से प्राप्त कर सकेंगे । समस्त राशि का भुगतान निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर करना होगा अन्य निर्णय तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा । शेष सीमा तक विद्वान जिला मंच का निर्णय स्थिर रहेगा । अपील संख्या 261/07 निरस्त की जाती है ।

(लियाकत अली)
सदस्य

(विनय कुमार चावला)
पीठासीन सदस्य

आदेश आज दिनांक 04.07.2011 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(लियाकत अली)
सदस्य

4.7.11
(विनय कुमार चावला)
पीठासीन सदस्य

कार्यालय अधीक्षक
राज्य आयोग

1. Copying Application No. 367
2. Date of Presentation 13/7/11